

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

35

समरत पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जा
वे; किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।

सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र



ग्राम : यूनीवरिटी
दृष्टभाष : 0091-(0751) 2442801
(कायालय)
फैक्स : 2442462 (निवास)
(0091-0751-2341768)
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेषक :-

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बन्धता/2012/ 1535

दिनांक : 28/2/14

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 04 जनवरी, 2014 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार चौ. दिलीप सिंह कन्या महाविद्यालय, भिष्ठ सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित, बी.लिब, एम.लिब., बी.सी.ए., बी.कॉम. (कम्प्यूटर एप्ली.), एम.कॉम., बी..एस-सी. एवं एम.ए.(संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, मिलेट्री साइंस, भूगोल, समाजशास्त्र) पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बन्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय द्वारा कॉलेज कोड 28(17) के अंतर्गत प्रत्येक विषय में तीन-तीन शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, क्रीड़ा अधिकारी एवं तकनीकी स्टॉफ की नियुक्ति की जावे एवं कार्यपरिषद् द्वारा मान्य कराया जावे।
2. माइक्रोबायोलॉजी, बायोटैक्नोलॉजी, भौतिकी, रसायन, जूलॉजी, बॉटनी एवं कम्प्यूटर लैबोरेटरी को 2-2 लाख पृथक-पृथक लगाकर ठीक किया जावे एवं नया फर्नीचर क्रय किया जावे।
3. पुस्तकालय में 02 लाख रुपये की विषयवार पुस्तकें खरीदी जावे।
4. शिक्षकों, कर्मचारियों को घैक के माध्यम से भुगतान किया जावे।
5. महाविद्यालय की स्थिति कई वर्षों से यथावत है। महाविद्यालय की स्थिति शीघ्र सुधारी जावे।

नोट :- महाविद्यालय द्वारा उपरोक्त शर्तों की पूर्ति मार्च 2014 तक अनिवार्य रूप से कर ली जावें तत्पश्चात् विश्वविद्यालय को सूचित करें।

आदेशानुसार
द्वारा
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, चौ. दिलीप सिंह कन्या महाविद्यालय, भिष्ठ।
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त सचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सम्बन्धीय एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बन्धता)